

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कैमंक प07(5)राज/वाद/19 पार्ट

जयपुर दिनांक: 01/03/2023

::आदेशः

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.02.2023 द्वारा इस विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में नियमित वेतन श्रृंखला के च0श्रे0कर्मचारी के 335 रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.18 में निर्धारित दरों/शर्तों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी लगाये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड के माध्यम से संविदा सेवार्यें, नियमित पदों के नियमानुसार भरे जाने अथवा दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 29.02.2024 तक, दोनों में से जो भी पहले हो, तक लिये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी।

उक्त आदेश के क0सं0 209 पर वर्णित कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03, जोधपुर महानगर के स्थान पर कार्यालय अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं05, जोधपुर महानगर का नाम एतद्वारा संशोधित किया जाता है।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
2. संबंधित जिला कलक्टर..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार संबंधित कार्यालयों में च0श्रे0 कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी लगाये जाने एवं सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड के माध्यम से संविदा सेवार्यें उपलब्ध करवाते हुये संबंधित कार्यालय एवं इस विभाग को अवगत करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. सम्बन्धित अपर लोक अभियोजक.....।
5. संबंधित कोषाधिकारी.....।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, वादकरण/सहायक लेखाधिकारी-न, वादकरण।
8. रक्षित पत्रावली।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव,विधि

Signature valid

Digitally signed by Anupama Rajeev
Bijlani
Designation: Secretary
Date: 2023.03.01 12:10:50 IST
Reason: Approved

D:\LOKENDRA\Office Work\Online Files\7(5)19 Part\Order

RajKaj Ref No. : 3280116

